15/966
277

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मु0, जयपुर

क्रमांकः–एफ–389/कार्मिक/प्रसु/2020/191 दिनांक–24-07-2020

कार्यालय–आदेश

पिछले कुछ समय से राज्य में कोरोना वायरस के कारण संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उच्च स्तरीय समीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्देशों की निरन्तरता में गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33 (2) गृह–9/2019 दिनांक 16.07.2020 के माध्यम से पुनः निर्देश जारी किये गये है।

उक्त आदेशों की अनुपालना में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है जिनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

1. मुख्यालय/आगार/ईकाई में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी (Social Distancing) सम्बन्धी मापदण्डों का सख्ती से पालन करेंगे तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।
2. आगार/ईकाई प्रभारी द्वारा केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर समस्त यात्रियों द्वारा समुचित सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित किया जाएगा। यात्रियों को वाहन में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क नही लगाने पर राज्य सरकार के नियमानुसार जुर्माने से दण्ड़नीय होगा।
3. प्रबन्धक (संचालन) द्वारा कार्यशाला से वाहन रवाना करने से पूर्व वाहनों को सैनिटाईज कराने के पश्चात् ही मार्ग पर भेजा जायेगा। इसकी पालना नहीं होने पर मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (संचालन) पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (यातायात/संचालन) सुनिश्चित करेंगे की चालक/परिचालक मास्क लगाकर ही मार्ग पर जावे। आदेशो की अवहेलना होने पर मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (यातायात/संचालन) उत्तरदायी होंगे।
5. यात्रियों के बस में बैठने से पूर्व यात्री की थर्मल स्कैनर से जांच सुनिश्चित की जावे।
6. केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर भी मुख्य प्रबन्धक/ड्यूटी आफिसर द्वारा विशेष ध्यान रखा जावे कि यात्रियों के मध्य सामाजिक दूरी हो एवं स्टालों पर अधिक संख्या में यात्री एकत्रित ना हो।
7. बस स्टैण्ड पर वाहनों के दरवाजे, हैण्डल, रेलिंग आदि को बार–बार विसंक्रमित (disinfect/sanitize) करना सुनिश्चित किया जावे।
8. बस स्टैण्डों पर शराब, पान गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है अतः विशेष ध्यान रखा जावे।
9. सभी प्रवेश व निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हण्ड वॉश और सेनेटाईज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः-- राज्य सरकार के आदेशों की छाया प्रति0

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांकः—25-07-2020

क्रमांकः—एफ—389 / मुख्या / कार्मिक / प्रसु / 2020 / 191

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत :—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष———————————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक———————————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
4. समस्त संयुक्त महा प्रबन्धक———————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
5. समस्त उप महा प्रबन्धक—(I.T.)—— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
6. सचिव निगम, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
7. जोनल मैनेजर, रापनि ————————————
8. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर
9. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक, रापनि————————————
10. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन / यातायात / यांत्रिक / वित्त / सांख्यिकी / ————)
    रापनि, मुख्यालय, जयपुर
11. प्रभारी, सुरक्षा शाखा, मैनगेट, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
12. आदेश पत्रावली।

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप 9) विभाग

क्रमांक: [illegible] गृह-9/2019 — जयपुर, दिनांक 16.07.2020

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

आदेश

विषयः सामाजिक दूरी संबन्धि सामान्य सावधानी निर्देश एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना।

कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान विशेषज्ञों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पिछले कुछ समय में अप्रत्याशित वृद्धि के निम्न प्रमुख कारण रहे है –

1. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं दिशा–निर्देशो की पालना नहीं किया जाना।
2. अन्तर्राज्यीय सीमा पर व्यक्तियों का अनियंत्रित आवागमन।
3. सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) एवं मास्क पहनने के सम्बन्ध में प्रचलित कानूनी प्रावधानों की अनुपालना नही किया जाना।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्देशो की निरन्तरता में निम्नलिखित निर्देश पुन: जारी किये जाते हैं –

1. समस्त कार्यालयों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा आवश्यक रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है।

2. सभी सार्वजनिक स्थानो एव परिवहन में समस्त व्यक्तियों द्वारा समुचित सामाजिक दूरी बनाया रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी पालना नहीं करना जुर्माने से दण्डनीय होगा।

3. दुकानों में ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में एक समय पर दुकानों में अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हों।

4. सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग आदि को बार–बार विसंक्रमित (disinfect/sanitize) करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में अधिक आती हो, उसे छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें एवं साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होने पर सैनिटाईजर का उपयोग करें।

B.

ऊपर वर्णित सामान्य सुरक्षा सावधानियों की कियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एव दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त वर्णित निद्रेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

C.

समसंख्यक आदेश दिनाक 11.7.2020 द्वारा व्यक्तियों के अन्तर्राज्जीय आवागमन पर नियंत्रण रखने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि अभी भी राज्य की सीमाओं से अवाहधित आवागमन निरन्तर जारी है। व्यक्तियों का राज्य से बाहर और अन्दर अनियंत्रित आवागम के कारण कोरोना

Mr

वायरस संक्रमण के केसेज में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसलिये सीमान्त जिलों के सभी कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकगण को पुनः एक बार यह निर्देश दिए जाते है कि वे व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करायी जाना सुनिश्चित करें ताकि कोविड 19 के प्रसार पर रोक लगे और नियंत्रण बना रहे।

16/07/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
7. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
8. सभी विभागाध्यक्ष
9. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
12. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(वी. सरवन कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह